



Mines and Geology Department
District- Vaishali

Short Notice Inviting E-Auction for Surrender of Sand Ghats

(Through E-Procurement portal over <https://eproc2.bihar.gov.in>)

बिहार राज्य सरकार गोरि, 84600 तथा बिहार राज्य सरकार (समाप्तकरण, अर्पण, परिचयन एवं बंदोबस्त विभाग) विभागद्वारा, प्रत्येक में उचितद्वारा सरकारों की तहत वैशाली जिलागत SEIAA बिहार द्वारा अनुमोदित जिला सरकार अधिकार/अधिकारों के विधिवत पत्रक करी एवं संग कटी के बाजूपाटी की प्रणाली नीचे करी के लिए ई-निर्णायी के माध्यम से बंदोबस्ती हेतु अधिवासी के रूप में बाजूपाटी की बंदोबस्ती ई-निर्णायी के माध्यम से कराने हेतु पुनः अधिसूचना ई-निर्णायी निम्न क्रमांकानुसार अधिसूचित कि जाती है। :-

1 ई-निर्णायी बंदोबस्त :-

क्र.सं.	बाजूपाटी का नाम	विशेष दस्तावेज विशेष सूचना (8,000/- रु.) अपराहण विविध दस्तावेज आपराहण के अंतर्गत करने की तिथि	अपराहण करी एवं अपराहण उपकरण करी अपराहण विशेष दस्तावेज अपराहण कराने की अंतिम तिथि एवं समय	समाप्त की तिथि की अंतिम/अपराहण कर कराने विशेष दस्तावेज की सूची निम्न में सम्मिलित समाप्त कराने अपराहण कराने की अंतिम तिथि	ई-निर्णायी प्रणाली की तिथि एवं समय	ई-निर्णायी समाप्त की तिथि एवं समय
1	Vaishali Gandak 2B, 2C					
2	Vaishali Ganga 1A Vaishali Ganga 2B,2C,2D Vaishali Ganga 3A,3B,3C,3D,3E Vaishali Ganga 4A,4B,4C Vaishali Ganga 5A,5B,5C,5D,5E,5F Vaishali Ganga 6G Vaishali Ganga 7A,7B,7C,7D Vaishali Ganga 8A,8B,8C,8D,8E,8F,8G,8H Vaishali Ganga 9A,9B,9C,9D,9E,9F,9G,9H,9I Vaishali Ganga 10A,10B,10C,10D,10E,10F Vaishali Ganga 11A,11B,11C,11D Vaishali Ganga 12A,12B,12C,12D,12E,12F Vaishali Ganga 13A,13B,13C,13D,13E,13F Vaishali Ganga 14A,14B,14C,14D,14E,14F,14G Vaishali Ganga 15A,15B,15C,15D,15E,15F,15G Vaishali Ganga 16A,16B,16C,16D,16E Vaishali Ganga 17A,17B,17C,17D,17E Vaishali Ganga 18A,18B,18C,18D Vaishali Ganga 19A,19B,19C,19D,19E,19F Vaishali Ganga 20A,20B Vaishali Ganga 21A,21B,21C,21D,21E,21F,21G Vaishali Ganga 23A,23B,23C Vaishali Ganga 24A,24B,24C,24D,24E,24F,24G Vaishali Ganga 25A,25B,25C,25D,25E,25F Vaishali Ganga 26A,26B,26C,26D Vaishali Ganga 27A,27B,27C,27D	19.08.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	03.09.2026 को अपराह्न समय 05.00 बजे तक।	15.09.2026	19.09.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	19.09.2026 को अपराह्न समय 1.00 बजे तक।

2 बाजूपाटी की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाईट <https://vaishali.nic.in> पर उपलब्ध है।

3 बाजूपाटी की बंदोबस्ती, ई-निर्णायी प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> से करायी जाएगी।

4 ई-निर्णायी द्वारा करायी जा रही बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कम्पनी/फर्म को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर निम्नलिखित कराना अनिवार्य होगा।

5 एतद् संबंधी समस्त सूचना (यथा-नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अपराहण राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के वेबसाईट <https://vaishali.nic.in>, किमागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/mines/> एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।

6 एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं०- एम/22, रोड नं०-25, श्री कृष्णनगर, पटना-800001 दूरभाष संख्या: 0612-2523006, 7542028164, समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली प्लॉट नं० 8840224986, खान निरीक्षक, वैशाली, मो०-7004201742,7484075268 एवं डाटा इंटी ऑपरेटर, मो०-9162713333 से सम्पर्क किया जा सकता है।

❖ विस्तृत जानकारी के लिए <https://state.bihar.gov.in/prdbihar> पर देखा जा सकता है।

8/8/08/2026

समाहर्ता
वैशाली।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला	वैशाली
------	--------



बिहार सरकार

वैशाली जिला के बालूघाटों की बंदोबस्ती
हेतु निलामी के कागजात

ई-प्रोक्योरमेंट मोड

<https://www.eproc2.bihar.gov.in>

जिला खनन कार्यालय

वैशाली

निविदा दस्तावेज

बंदोबस्ती की अवधि— पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 5 वर्षों के लिए

बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त एवं बंधेज।

(1) निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण है:-

- निविदा के शर्त एवं बंधेज (अनुलग्नक 1)
- बालूघाट की विवरणी (अनुलग्नक 2)
- तकनीकी निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक 3)

(2) पंजीयन की प्रक्रिया :-

(i) ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> में सर्वप्रथम पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदाता द्वारा पूर्व में ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी-3 डिजिटल हस्ताक्षर एवं यूजर आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है।

(ii) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पर पंजीयन लिंक के द्वारा सर्वप्रथम पंजीयन करना होगा। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित CAPTCHA को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क का भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑन-लाईन <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किया जायेगा।

⇒ संबंधित बालूघाट/बालूखण्डों के लिये बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित Auction Processing fee की विवरणी निम्नवत् है :-

Sr. No.	Reserve Price	Auction Processing fee
1	Up to 70 Lacs	590/-
2	More than 70 Lacs to 3 crore	3540/-
3	More than 3 crore	5900/-

(iii) इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात पोर्टल के विडों पर निविदादाता द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन की वैधता 01 वर्ष के लिए होगी।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे।

(3) बालूघाटों की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी की शर्त एवं बंधेज :-

(i) प्रत्येक खण्ड/बालू खण्ड/बालूघाट के लिये अलग-अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं अलग-अलग अग्रधन राशि के साथ निविदा देनी होगी।

(ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी को अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए बंदोबस्ती दी जाएगी। उक्त सीमा मात्र बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों यथा— सोन, चानन, किउल, फल्गु एवं मोरहर के बालूघाटों की बंदोबस्ती पर लागू होगी। ई-ऑक्शन सिस्टम में ही यह व्यवस्था इनबिल्ट (Inbuilt) रहेगी।

(iii) बन्दोबस्ती ई-निविदा-सह-नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।

(4) पात्रता :- निबंधित कम्पनियों, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और संस्थाओं के भागीदार को पात्रता के निम्नांकित मानदण्डों को पूरा करना होगा :-

(i) भारत का नागरिक होना।

(ii) पैन कार्ड धारी होना।

(iii) रॉयल्टी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना :-

संबंधित जिला से जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओवर उसके द्वारा बीड किये गये खंडों/बालू खंड/बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

(v) जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिए की उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। गलत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करने पर संबंधित निविदादाता द्वारा जमा की गई सभी राशि जप्त कर 02 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(vi) विभाग/बिहार राज्य खनन निगम में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) किसी राज्य/केन्द्र के विभाग का उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

(5) निविदा देने की प्रक्रिया :-

केवल ऑन लाईन पद्धति ई-प्रोक्वायरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in>

(6) ई-ऑक्शन की प्रक्रिया :-

नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्टि करना होगा।

(i) पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडो में क्लिक करना होगा। इस विंडो में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।

(ii) अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आईडी का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे।

(iii) For support related to e-tendering process bidders may contact at " eProc2.0 help Desk Address:- mjunction services limited Rj complex, 2nd floor, Canara Bank Campus Khajpura, Ashiana Road, P.S.-Shastri Nagar, Patna 800014, Bihar. Toll Free Number: 18005726571 or may visit <https://www.eproc2.bihar.gov.in>

(7) तकनीकी निविदा के लिए निम्नांकित कागजात पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा :-

(क) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत अग्रधन (Earnest Money) के रूप में ऑनलाईन माध्यम से स्वयं/कम्पनी/फर्म/संस्था के खाता से जमा करना होगा। निविदादाता को विगत 03 माह के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

(ख) निविदा की शर्तों एवं बंधनों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(ग) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रेमाणित फोटोप्रति।

(च) संबंधित जिला/निगम से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र- पूर्व में अगर निविदादाता द्वारा वृहत खनिज का पट्टा अथवा लघु खनिज की बन्दोबस्ती/अनुज्ञप्ति ली गयी हो अथवा स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति लिया गया हो तो संबंधित जिले के खनन पदाधिकारी/निगम से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदादाता पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति नहीं लिये हो तो इस आशय का घोषणा- पत्र संलग्न करना होगा। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।

(छ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नही रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा पत्र/शपथ पत्र। GST प्रमाण पत्र नहीं रहने पर सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LoI) निर्गत किया जा सकेगा किन्तु खनन के लिए अनुमति निबंधन के पश्चात ही होगी।

(ज) जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिए की उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। गलत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करने पर संबंधित निविदादाता द्वारा जमा की गई सभी राशि जप्त कर 02 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(झ) फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।

- (ट) समिति के मामले में अंकक्षण रिपोर्ट।
- (ठ) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित **वित्तीय वर्ष** (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का वार्षिक लेखा।
- (ड) कम्पनी के मामले में **वित्तीय वर्ष** (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) की आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति। अन्य मामले में **वित्तीय वर्ष** (वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ढ) मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/उप नियम। (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में)
- (त) साझेदारी के मामले में साझेदारी दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित प्रति।
- (थ) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों।
- (द) समिति के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम की प्रति।
- (ध) इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के निदेशकों में से किसी को भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- (न) अपलोड सभी कागजात स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अपठनीय कागजात को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोली आमंत्रण प्राधिकार (निविदा समिति) द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले निविदादाताओं को ही ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

(9) ऑक्शन मोड के चयन के उपरांत निविदादाता को संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।

(10) प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

(11) आवश्यकता पड़ने पर ऑन-लाइन निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात्, किन्तु प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व कभी भी लिखित सूचना निर्गत कर नीलामी कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, जो मात्र ऑन-लाइन प्रदर्शित होगा। अतः बोलीदाता को <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल से सूचना देखते रहना होगा। बोलीदाता की ये जम्मेवारी होगी की वह पोर्टल का अवलोकन करते रहे। किसी अन्य माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी।

(12) किसी विशिष्ट सम्पदा के ई-नीलामी की प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के अंतिम 05 मिनट में यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को **केवल एक बार मात्र अगले एक घंटा की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा**। उसके बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।

(13) सफलतम बोलीकर्ता को स्वचालित सिस्टम द्वारा ई-मेल एवं पोर्टल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।

(14) बोली लगाते समय बोलीदाता के सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारु रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलों में बेल्ट्रॉन/संबंधित जिला खनन कार्यालय, वैशाली अथवा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(15) सभी इच्छुक निविदादाता ई-नीलामी हेतु पंजीकरण करने एवं ऑन-लाइन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि निविदादाताओं द्वारा नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्तें उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति अस्वीकार्य होगा।

(16) नीलामी की तिथि एवं समय ई-नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित है। सभी इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि ई-नीलामी से संबंधित अपने सभी आईटी0 संसाधनों एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर ली है एवं निर्धारित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार ही भाग लेंगे।

(17) ऑक्शन प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा दस्तावेज शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा अनुरक्षणीय (Non-Maintainable) होगा।

(18) ई-नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार समाहर्ता/ खान एवं भूतत्व विभाग के पूर्ण विवेकाधिकार में होगा।

(19) बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया एवं सफल निविदादाता का चयन:-

(i) बालूघाटों की बंदोबस्ती उच्चतम डाकवक्ता/बोलीदाता के पक्ष में ई-निविदा-सह-नीलामी (e-tendering-cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी निविदा, निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्तों के अनुसार उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) जो व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। ई-नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे।

(iii) उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती लेने से इन्कार करने या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर या असफल रहने पर उनकी जमा अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी एवं अगले 02 वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

(iv) ई-नीलामी में न्यूनतम बोली की बढ़ोतरी राशि (Incremental Value) सुरक्षित जमा राशि की 10 प्रतिशत के बराबर होगी। वित्तीय बोली Incremental Value के गुणज (Multiple) में ही लगायी जा सकती है।

(v) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं द्वारा ई-नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण नीलामी विफल हो जाने पर तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाताओं की अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।

(vi) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समाहर्ता के अनुशंसा के साथ विभाग को भेजा जायेगा एवं विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटों का नियमानुसार बंदोबस्ती की जा सकेगी।

(vii) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी दूसरे एवं उसके बाद की बंदोबस्ती राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर होगी।

(viii) अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने, अपेक्षित राशि के भुगतान, पट्टा संविदा के निष्पादन के बाद कार्य-आदेश उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(ix) बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य देय करों का भुगतान करेगा।

(20) सफल निविदादाता के चयन के बाद की औपचारिकताएँ :-

- i. नीलामी के 05 दिनों के अंदर, उच्चतम डाकवक्ता से नीलामी राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान, प्रतिभूति जमा, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) के रूप में करने की अपेक्षा की जाएगी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत्यादेश (LoI) उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में निर्गत किया जाएगा और उसके बाद उच्चतम डाकवक्ता निविदा पत्र में वर्णित अपेक्षित दस्तावेजों यथा-अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापत्ति नियत कालावधि के भीतर जमा करेंगे। **प्रतिभूति राशि पर किसी तरह का कोई ब्याज देय नहीं होगा।**
- ii. प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी बशर्ते कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो।
- iii. अग्रधन/प्रतिभूति जमा और नीलामी की किस्तों का भुगतान केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, जो-
 - (क) किसी व्यक्ति की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।
 - (ख) भागीदारी फर्म की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।
 - (ग) कंपनी की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी या उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से किया जाएगा।
 - (घ) किसी भी कारण से ई-नीलामी रद्द होने के मामलों में, सफल डाकवक्ता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि, जिसमें अग्रधन राशि एवं प्रतिभूति राशि आदि शामिल हो, को खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के विवेकाधिकार पर वापस किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में किसी तरह का ब्याज अथवा मुआवजे एवं नुकसान आदि के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- iv. सफल निविदादाता को निविदा हेतु ऑनलाईन अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति जिला खनन कार्यालय में 02 दिन में समर्पित किया जाना होगा।
- v. सफल निविदादाता कंपनी/समिति/साझेदारी के मामलों में सभी निदेशकों/सदस्यों/प्रोपराईटर/साझेदारों की सूची एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी तथा कंपनी/समिति/साझेदार की भी चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे। जिला खनन कार्यालय/खनिज विकास पदाधिकारी का इस विवरणी को प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी एवं प्राप्त होने के उपरांत ही लेटर ऑफ इंटेन्ट/सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(21) वैधानिक अनापत्ति:- बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक

अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-

- i. **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- iii. **जल एवं वायु सहमति:-** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।

(22) बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने

के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

- ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

(23) **बालू खनन की अनुमति:**— बंदोबस्तधारी को सभी अपेक्षित वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने, अपेक्षित किस्त का भुगतान करने एवं पट्टा संविदा निष्पादन के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

(24) **भुगतान की शर्तें:**—

- (i) निलामी—राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर होगी।
- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :—

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्ता, वैशाली के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई—चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(25) **GST का भुगतान :**— बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, वैशाली में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

(26) **आयकर/अन्य करों का भुगतान:**— बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, वैशाली द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

(27) **जिला खनिज फाउण्डेशन:**— सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार करना होगा।

(28) **बालू का विक्रय मूल्य:**— अंतिम उपयोगकर्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। लेकिन लोकहित में समाहर्ता/खनन विभाग निलामी राशि, अन्य खर्च, बंदोबस्तधारी का लाभ का अंतर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विक्रय दर निर्धारित कर सकेगा।

(29) बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र:- बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे।

(30) (क) बालू खनन की अधिकतम गहराई:-

नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। लेकिन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सृजित बालूघाटों के लिए प्रतिवेदन में उल्लेखित गहराई को मान्य किया जायेगा। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित आधार पर भर दिये जाएंगे।

(ख) खनन योग्य मात्रा में वृद्धि:-

जिन बालूघाटों से बालू खनन 03 मीटर से कम अनुमान्य है, उन बालूघाटों के लिए भविष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा खनन योग्य गहराई 03 मीटर तक अनुमान्य किये जाने की स्थिति में खनन योग्य मात्रा में वृद्धि के अनुसार बंदोबस्ती राशि में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी एवं इसका भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा।

(31) बंदोबस्ती/समानुदान का प्रत्यार्पण-

- i. बंदोबस्तधारी को बंदोबस्ती छोड़ने के पूर्व उस पंचांग वर्ष की सम्पूर्ण बंदोबस्ती राशि जमा करनी होगी। बंदोबस्ती प्रत्यार्पित करने की स्थिति में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ भुगतान की गई अन्य राशि को जप्त कर ली जायेगी। साथ ही बंदोबस्तधारी के रूप में निर्गत भंडारण अनुज्ञप्ति भी स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- ii. बंदोबस्ती समर्पण के मामले में समाहर्ता द्वारा बकाया भुगतान के लिए 21 दिन का नोटिस देने के बाद भी राशि जमा नहीं करने पर बकाया वसूली के लिए बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम, 1914 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

(32) खनन योजना का हस्तान्तरण :- किसी भी खनिज समानुदान के समयपूर्व समाप्त किये जाने अथवा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में अनुमोदित खनन योजना नये बंदोबस्तधारी/अनुज्ञप्तिधारी/समानुदानधारी के साथ बंदोबस्ती की स्थिति स्वतः स्थानान्तरित समझी जायेगी।

(33) पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तान्तरण :- सरकार द्वारा विधि मान्य प्रक्रिया से बंदोबस्ती/अनुज्ञप्ति/समानुदान रद्द किये जाने पर विधिक कार्रवाई या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में वैसे खनिज अनुदान/पट्टा/बालूघाट/बालू खण्ड/खदान के लिए स्वीकृत पर्यावरणीय जिस अवधि के लिए पूर्व में निर्गत हो, उसे विधिमान्य ईकाई (Entity) को निर्धारित या विस्तारित अवधि के लिए स्थानान्तरित की जायेगी।

(34) ऑन लाईन बालू पोर्टल-

(क) बंदोबस्तधारी सभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करेगा। बंदोबस्तधारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा। बन्दोबस्तधारी को विभागीय पोर्टल/मोबाईल ऐप पर प्रतिदिन का खनन, भंडारण का ब्यौरा अद्यतन करना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर ई-चालान बंद किया जा सकता है।

(ख) बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई-चालान की प्रिंटेड प्रति साथ रखेंगे। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू परिवहन के प्रयोजनार्थ अवैध, अनिबंधित या अनाधिकृत वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत जुर्माना की वसूली की जाएगी।

(35) **डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार:-** नदी का प्रवाह, बाँधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है। विभाग डिसिल्टिंग प्रक्रिया में निकाले गए बालू के निपटारे के लिए मार्गदर्शन निर्गत करेगी।

(36) **बालू-परिवहन विनियमित करने की शक्ति:-** अधिसूचना के माध्यम से विभाग, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर/रोक सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि विभाग का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा।

(37) **पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study):-** बंदोबस्तधारी द्वारा मॉनसून के पहले और बाद नदी तल में बालू की मात्रा का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study) अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियों के माध्यम से कराया जाएगा और इसका एक प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर एवं समाहर्ता को समर्पित करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा पुनर्भरण अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित बंदोबस्तधारी से वसूल किया जाएगा।

(38) **जल संसाधन विभाग से अनापत्ति:-** किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

(39) **निगम द्वारा विहित दरों पर खनिजों का क्रय किया जाना:-** विभाग द्वारा सभी बंदोबस्तधारी को उत्खनित बालू का 50 प्रतिशत तक, निगम को पिट हेड मूल्य पर विक्रय करने का निदेश दे सकेगा।

(40) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत SSMMG-2016, EMGSM- 2020, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति 2019 (यथा संशोधित) एवं अन्य संगत नियमावली तथा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(41) **शास्ति:-** किसी नियम, शर्त एवं बंधेज के उल्लंघन के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित), बिहार बालू खनन नीति 2019 (यथा संशोधित) एवं अन्य प्रभावी नियमावली/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(42) **सामान्य शर्तें :-**

- (i) निविदादाता/सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से किया गया पत्राचार ही मान्य होगा।
- (ii) बंदोबस्तधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑनलाईन ई-चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा। उसकी मूल प्रति (प्रिंट आउट) चालक के पास उपलब्ध रहना चाहिए।
- (iii) बन्दोबस्ती लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्ता को उपलब्ध कराना एवं पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची अविलम्ब पोर्टल पर अपलोड/उपलब्ध करायेंगे।
- (iv) बंदोबस्तधारी नदी तट से 300 मी0 तक बालू का भंडारण कर सकते हैं जिसके लिए किसी प्रकार के भंडारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन भंडारण स्थल का Geo Co-ordinate , भंडारण मात्रा का विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर देना होगा। नदी तट से 05 किलोमीटर (Aerial distance) के बाद बालू भंडारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति/बंदोबस्तधारी को अलग से भंडारण अनुज्ञप्ति लेना होगा।
- (v) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। बंदोबस्तधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित करेगा।
- (vi) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
- (vii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (viii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (ix) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंदोबस्तधारी की होगी।
- (x) बंदोबस्तधारी द्वारा सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शिका, 2016/2020/पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप मशीन का प्रयोग किया जाएगा। महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नहीं लिया जायेगा।

- (xi) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।
- (xii) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्याय्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- (xiii) बंदोबस्तधारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /SEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर माह में अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति में यथा कथित) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- (xiv) बंदोबस्तधारी वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नहीं टपके। इसके लिए बंदोबस्तधारी नदी के किनारे से 300 मीटर की दूरी के भीतर बालू लादने के लिए सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था करेगा जिसके लिए अपेक्षित बालू जमा करने हेतु किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी।
- (xv) बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।
- (xvi) बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (xvii) उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्यवाई की जा सकेगी।
- (xviii) बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर बंदोबस्तधारी द्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्यवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्यवाई की जाएगी।
- (xix) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश-देशांतर के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन मार्गों, जल संसाधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलोक में अपने स्तर से तकनीकी जाँच कराकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लेंगे। नीलामी के पश्चात किसी प्रकार का कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (xx) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/ अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य

कराना होगा। बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images मानसून के पूर्व एवं बाद का समर्पित करना होगा।

- (xxi) बालू का विक्रय निबंधित एवं व्यवसायिक वाहन के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनिबंधित एवं बिना वाहन संख्या के (unrealistic vehicle) वाहन से बालू का विक्रय नहीं किया जायेगा। ट्रैक्टर इंजन एवं ट्रॉली दोनों का परिवहन विभाग में निबंधित होने के उपरान्त ही बालू का प्रेषण किया जाएगा। उल्लंघन किये जाने की स्थिति में जमा अग्रधन एवं अन्य राशि जप्त कर ली जायेगी।
- (xxii) बालू बंदोबस्तधारी को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधों पर निर्मित प्रतिबंधित सड़क या परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सड़क/पुल-पुलिया से नहीं करना है।
- (xxiii) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxiv) बंदोबस्ती समाप्ति के पूर्व नदी तट से 300 मीटर के अन्दर भंडारित बालू को हटा लेना होगा अन्यथा भंडारित खनिज (बालू) सरकार की सम्पति मानकर उसका निष्पादन किया जायेगा।
- (xxv) बंदोबस्तधारी द्वारा भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों को भी भुगतान के आधार पर मासिक उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने का निदेश समाहर्ता/विभाग दे सकेगा एवं इसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (xxvi) निकाले गये खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामिस्व की संगणना वार्षिक बंदोबस्ती की राशि से अधिक होने पर बंदोबस्तधारी द्वारा निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए बंदोबस्ती राशि के अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करना होगा।
- (xxvii) बंदोबस्तधारी को प्रत्येक सप्ताह खनन स्थल/घाट का कम से कम 04 फोटोग्राफ्स Geo Co-ordinate के साथ विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- (xxviii) बंदोबस्तधारी को सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के विशिष्टियों के अनुरूप **GPS युक्त वाहन ही प्रयोग करना होगा**, जिसमें वजन के प्रतिवेदन हेतु **Load shell उपकरण** लगाना अनिवार्य होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी परिवहन चालान विभाग में निबंधित वाहनों के लिए ही निर्गत करेंगे, जो GPS युक्त हो एवं जिसकी Tracking हेतु विभागीय पोर्टल पर डाटा शेयर किया जा सके।
- (xxix) घाट पर ऐसी विशिष्टियों का धर्मकांटा का अधिष्ठापन बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च पर किया जाएगा, जिसका Real time data विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा खान एवं भूतत्व विभाग के उपर मान्य नहीं होगा।
- (xxx) स्रोत से गंतव्य की दुरी के GPS Data के अनुसार ई-चालान की वैधता अवधि को विभाग बदल/कम कर सकता है।

- (xxxi) बंदोबस्तधारी को खनन/भंडारण एवं उनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति स्थल का ड्रोन से Volumetric Analysis प्रतिमाह कराकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभाग/समाहर्ता द्वारा किसी ऐजेन्सी से कराया जाता है, तो उस पर हुए व्यय का भुगतान बंदोबस्तधारी को करना होगा।
- (xxxii) बंदोबस्तधारी के Login से निर्गत ई-चालान एवं जमा रिटर्न को माना जायेगा कि बंदोबस्तधारी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँच कर लिया गया है।
- (xxxiii) सर्वर मेन्टेनेन्स या विधि व्यवस्था हेतु ई-चालान बन्द किया जा सकता है एवं इस अवधि हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- (xxxiv) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर न स्वयं खनन करना है और न ही किसी को करने देना है। संबंधित बालूघाट से 100 मीटर की परिधि में यदि अवैध खनन पाया जाता है एवं इसकी सूचना यदि बंदोबस्तधारी द्वारा विभाग/संबंधित जिला खनन कार्यालय को नहीं दी जाती है, तो संबंधित बंदोबस्तधारी की संलिप्तता मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।
- (xxxv) Google earth pro/Bhuvan software से की गई Monitoring/प्राप्त साक्ष्य मान्य होंगे। इस आधार पर बंदोबस्तधारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपण/अन्य कार्रवाई की जाएगी।
- (xxxvi) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन करने, निर्धारित गइराई से ज्यादा खनन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों के विरुद्ध खनन करने एवं **खनन योग्य मात्रा से अधिक खनन करने की कृत को अवैध खनन** माना जाएगा एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के नियम- 56 के तहत संबंधित बंदोबस्तधारी के विरुद्ध जुर्माना राशि अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जमा अग्रधन की राशि से वसूली की जाएगी।
- (xxxvii) बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
- (xxxviii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xxxix) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xi) खान एवं भूतत्व विभाग/समाहर्ता आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बालूघाटों का सर्वेक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बालूघाटों से बालू खनन की पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप हो रही है।
- (xli) नीलामी के उपरांत यदि बन्दोबस्तधारी द्वारा किसी कारणवश बन्दोबस्ती अवधि के बीच में ही बन्दोबस्ती का प्रत्यापण किया जाता है या बन्दोबस्ती छोड़ा जाता है तो वैसी स्थिति में बन्दो

बस्तधारी को काली सूची में डालते हुए राज्यान्तर्गत बालू घाटों की ई-निलामी में भाग लेने से अगले पाँच वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

8/8/2026
समाहर्ता
वैशाली।

बंदोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरणी

जिला—

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	खण्ड/बालू खण्ड/ बालूघाट की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम—

मोहर—

नोट:— निविदादाता प्रकाशित निविदा में वर्णित बालूघाटों में से जिस/जिन बालूघाटों के लिए निविदा देने हेतु इच्छुक है सिर्फ उसी को भरकर निविदा प्रपत्र अपलोड करेंगे।

बालूघाट की बंदोबस्ती हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

(निविदादाता अपने लेटर-हेड अथवा सादा कागज का प्रयोग करें।)

1. निविदादाता का नाम :

(समिति या प्राईवेट लि० कम्पनी
या फर्म के मामले में प्रबंधक/
अधिकृत हस्ताक्षर करने वालो
का नाम)



व्यक्ति का फोटो
(व्यक्ति विशेष को
छोड़कर अन्य
मामले में प्रबंधक/
मैनेजिंग पार्टनर
का फोटो)

2. पिता का नाम :

(समिति या प्राईवेट लि० कम्पनी
या फर्म के सचिव/प्रबंधक/
अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले के
पिता का नाम)

3. पत्राचार का पता :

4. ई-मेल :

5. स्थायी पता :

6. सम्पर्क हेतु दूरभाष सं० : (कार्या०) (आ०)
(मो०)

7. पैन कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड संख्या (स्वः
अभिप्रमाणित छायाप्रति
संलग्न करें) :

8. बकाया रहित प्रमाण-पत्र :
(कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
संबंधित जिला एवं निगम से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र
तथा अन्य जिलों के मामलों में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।

9. Chartered Accountant द्वारा सत्यापित वित्तीय :
वर्ष-2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
Annual Accounts (Profit and Loss Account
सहित) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें

10. स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों :

11. GST निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं :
रहने पर एक माह के अंदर निबंधन
करा लेने संबंधी शपथ-पत्र

12. कम्पनी के मामलों में वित्तीय वर्ष-2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
का आयकर रिटर्न। अन्य मामलों में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21
एवं 2021-22 के आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति। :

13. जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल
पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र :
(स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

14. समिति / फर्म/प्राईवेट लि० कम्पनी के मामले में :
अद्यतन अंकेक्षण रिपोर्ट

15. मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन/उप नियम:

(कृपया संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य
के मामले में)

16. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज :
की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
17. जिला का नाम :
18. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये :
निविदा दी गई है।
19. सुरक्षित जमा राशि :
20. अग्रधन की राशि तथा उसका पूर्ण विवरण :
i. बैंक एवं शाखा का नाम—
ii. UTR No.-
iii. तिथि—
iv. राशि—
v. निविदादाता का बैंक खाता संख्या—

तिथि—

नाम एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक:-4										
वैशाली जिलान्तर्गत आगामी पाँच वर्ष के लिए बंदोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरण (अनीलामीत)										
VAISHALI DISTRICT										
River Name	Name of Ghat (NEW)	Area (Ha.)	Pillar	Latitude	Longitude	Mineable Reserve (in M ³)	Minimum Reserve Price (in Rs.)	EMD 25% of Reserve Price (in Rs.)	Auction Form Fee	Auction Proceesing Fee
Gandak	Vaishali Gandak 2 B	10	1	25°45'41.21"N	85°10'46.77"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°45'32.36"N	85°10'45.43"E					
			3	25°45'36.30"N	85°10'31.69"E					
			4	25°45'44.33"N	85°10'35.51"E					
Gandak	Vaishali Gandak 2 C	8.3	1	25°46'0.04"N	85°10'40.78"E	149400	11205000	2801250	5000	3540
			2	25°45'59.41"N	85°10'41.81"E					
			3	25°45'55.61"N	85°10'42.38"E					
			4	25°45'47.97"N	85°10'45.68"E					
			5	25°45'41.48"N	85°10'46.93"E					
			6	25°45'44.63"N	85°10'35.60"E					
Ganga	Vaishali Ganga 1A	10.3	1	25°36'56.78"N	85°15'50.61"E	185400	13905000	3476250	5000	3540
			2	25°37'0.40"N	85°16'4.71"E					
			3	25°36'55.50"N	85°16'7.93"E					
			4	25°36'57.25"N	85°16'18.77"E					
			5	25°37'2.04"N	85°16'24.43"E					
Ganga	Vaishali Ganga 2B	14	1	25°37'27.81"N	85°16'38.11"E	252000	18900000	4725000	5000	3540
			2	25°37'28.42"N	85°16'46.34"E					
			3	25°37'6.20"N	85°16'48.73"E					
			4	25°37'5.82"N	85°16'42.41"E					
Ganga	Vaishali Ganga 2C	14.6	1	25°37'28.39"N	85°16'46.82"E	262800	19710000	4927500	5000	3540
			2	25°37'28.80"N	85°16'49.99"E					
			3	25°37'30.03"N	85°16'52.61"E					
			4	25°37'5.26"N	85°16'58.04"E					
Ganga	Vaishali Ganga 2D	12.6	1	25°37'30.09"N	85°16'52.86"E	226800	17010000	4252500	5000	3540
			2	25°37'32.79"N	85°16'58.24"E					
			3	25°37'19.39"N	85°17'8.83"E					
			4	25°37'15.92"N	85°16'56.12"E					
Ganga	Vaishali Ganga 3A	9.5	1	25°37'33.15"N	85°16'58.70"E	171000	12825000	3206250	5000	3540
			2	25°37'35.64"N	85°17'4.43"E					
			3	25°37'22.76"N	85°17'15.20"E					
			4	25°37'21.41"N	85°17'12.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 3B	10	1	25°37'35.79"N	85°17'4.71"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°37'36.00"N	85°17'13.42"E					
			3	25°37'36.50"N	85°17'16.88"E					
			4	25°37'25.27"N	85°17'20.81"E					
Ganga	Vaishali Ganga 3C	10.3	1	25°37'32.91"N	85°17'15.35"E	185400	13905000	3476250	5000	3540
			2	25°37'36.55"N	85°17'17.08"E					
			3	25°37'38.73"N	85°17'28.37"E					
			4	25°37'30.08"N	85°17'31.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 3D	9.3	1	25°37'25.40"N	85°17'21.01"E	167400	12555000	3138750	5000	3540
			2	25°37'38.68"N	85°17'28.58"E					
			3	25°37'39.20"N	85°17'31.49"E					
			4	25°37'39.77"N	85°17'42.62"E					
Ganga	Vaishali Ganga 3E	16	1	25°37'28.84"N	85°17'42.12"E	288000	21600000	5400000	5000	3540
			2	25°37'32.14"N	85°17'35.74"E					
			3	25°37'30.23"N	85°17'31.65"E					
			4	25°37'39.77"N	85°17'42.82"E					
Ganga	Vaishali Ganga 4A	7.5	1	25°37'40.46"N	85°17'59.04"E	135000	10125000	2531250	5000	3540
			2	25°37'26.94"N	85°17'56.50"E					
			3	25°37'28.96"N	85°17'42.30"E					
			4	25°37'39.99"N	85°18'0.00"E					
Ganga	Vaishali Ganga 4A	7.5	1	25°37'37.27"N	85°18'5.99"E	135000	10125000	2531250	5000	3540
			2	25°37'25.08"N	85°18'3.76"E					
			3	25°37'26.93"N	85°17'56.97"E					
			4	25°37'26.93"N	85°17'56.97"E					

Ganga	Vaishali Ganga 4B	10	1	25°37'36.97"N	85°18'6.42"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°37'34.51"N	85°18'11.31"E					
			3	25°37'13.25"N	85°18'6.49"E					
			4	25°37'13.93"N	85°18'1.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 4C	11	1	25°37'33.80"N	85°18'12.54"E	198000	14850000	3712500	5000	3540
			2	25°37'31.59"N	85°18'17.92"E					
			3	25°37'13.17"N	85°18'14.32"E					
			4	25°37'13.39"N	85°18'7.15"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5A	14.5	1	25°37'53.33"N	85°18'50.92"E	261000	19575000	4893750	5000	3540
			2	25°37'48.44"N	85°19'10.08"E					
			3	25°37'38.22"N	85°18'55.70"E					
			4	25°37'49.88"N	85°18'47.52"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5B	16.3	1	25°37'48.53"N	85°19'11.09"E	293400	22005000	5501250	5000	3540
			2	25°37'48.95"N	85°19'21.68"E					
			3	25°37'29.78"N	85°19'1.77"E					
			4	25°37'37.90"N	85°18'56.06"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5C	14	1	25°37'49.10"N	85°19'22.28"E	252000	18900000	4725000	5000	3540
			2	25°37'49.09"N	85°19'26.10"E					
			3	25°37'47.25"N	85°19'27.22"E					
			4	25°37'24.54"N	85°19'5.39"E					
			5	25°37'29.47"N	85°19'2.05"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5D	10.6	1	25°37'46.80"N	85°19'27.27"E	190800	14310000	3577500	5000	3540
			2	25°37'43.18"N	85°19'29.23"E					
			3	25°37'20.94"N	85°19'7.81"E					
			4	25°37'24.33"N	85°19'5.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5E	7.4	1	25°37'42.76"N	85°19'29.56"E	133200	9990000	2497500	5000	3540
			2	25°37'41.31"N	85°19'30.48"E					
			3	25°37'31.05"N	85°19'26.20"E					
			4	25°37'25.43"N	85°19'22.63"E					
			5	25°37'29.58"N	85°19'16.63"E					
Ganga	Vaishali Ganga 5F	7.97	1	25°37'29.56"N	85°19'16.60"E	143460	10759500	2689875	5000	3540
			2	25°37'25.38"N	85°19'22.59"E					
			3	25°37'20.24"N	85°19'20.55"E					
			4	25°37'18.31"N	85°19'9.51"E					
			5	25°37'20.75"N	85°19'8.03"E					
Ganga	Vaishali Ganga 6G	11.5	1	25°36'21.11"N	85°16'8.55"E	207000	15525000	3881250	5000	3540
			2	25°36'25.02"N	85°16'20.57"E					
			3	25°36'17.02"N	85°16'27.04"E					
			4	25°36'10.26"N	85°16'21.97"E					
Ganga	Vaishali Ganga 7A	13	1	25°36'1.65"N	85°21'37.27"E	234000	17550000	4387500	5000	3540
			2	25°35'59.65"N	85°21'57.88"E					
			3	25°35'49.77"N	85°21'54.55"E					
			4	25°35'57.54"N	85°21'35.55"E					
Ganga	Vaishali Ganga 7B	9.9	1	25°35'59.56"N	85°21'58.11"E	178200	13365000	3341250	5000	3540
			2	25°35'58.87"N	85°22'7.04"E					
			3	25°35'45.72"N	85°22'4.74"E					
			4	25°35'49.58"N	85°21'54.97"E					

Ganga	Vaishali Ganga 7C	11.3	1	25°35'58.80"N	85°22'7.29"E	203400	15255000	3813750	5000	3540
			2	25°35'58.10"N	85°22'15.75"E					
			3	25°35'41.97"N	85°22'13.68"E					
			4	25°35'45.65"N	85°22'4.90"E					
Ganga	Vaishali Ganga 7D	15.7	1	25°35'58.00"N	85°22'16.03"E	282600	21195000	5298750	5000	3540
			2	25°35'57.28"N	85°22'24.58"E					
			3	25°35'37.04"N	85°22'25.10"E					
			4	25°35'41.95"N	85°22'13.82"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8A	10	1	25°33'33.86"N	85°26'15.48"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°33'33.55"N	85°26'24.83"E					
			3	25°33'21.73"N	85°26'24.21"E					
			4	25°33'21.13"N	85°26'14.67"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8B	8.3	1	25°33'34.09"N	85°26'7.89"E	149400	11205000	2801250	5000	3540
			2	25°33'33.82"N	85°26'15.16"E					
			3	25°33'21.02"N	85°26'14.45"E					
			4	25°33'20.57"N	85°26'7.16"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8C	10.7	1	25°33'34.30"N	85°25'58.39"E	192600	14445000	3611250	5000	3540
			2	25°33'33.91"N	85°26'7.63"E					
			3	25°33'20.50"N	85°26'6.68"E					
			4	25°33'19.94"N	85°25'58.03"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8D	13.4	1	25°33'36.80"N	85°25'48.04"E	241200	18090000	4522500	5000	3540
			2	25°33'34.45"N	85°25'54.03"E					
			3	25°33'34.35"N	85°25'57.95"E					
			4	25°33'19.80"N	85°25'57.40"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8E	11	1	25°33'38.85"N	85°25'41.02"E	198000	14850000	3712500	5000	3540
			2	25°33'38.30"N	85°25'43.48"E					
			3	25°33'36.66"N	85°25'47.70"E					
			4	25°33'18.92"N	85°25'47.42"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8F	9.5	1	25°33'40.24"N	85°25'34.56"E	171000	12825000	3206250	5000	3540
			2	25°33'38.82"N	85°25'40.47"E					
			3	25°33'18.52"N	85°25'40.59"E					
			4	25°33'18.20"N	85°25'36.04"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8G	9.1	1	25°33'41.62"N	85°25'29.06"E	163800	12285000	3071250	5000	3540
			2	25°33'40.19"N	85°25'34.23"E					
			3	25°33'18.14"N	85°25'35.83"E					
			4	25°33'17.70"N	85°25'31.75"E					
Ganga	Vaishali Ganga 8H	11.3	1	25°33'43.23"N	85°25'22.64"E	203400	15255000	3813750	5000	3540
			2	25°33'41.73"N	85°25'28.76"E					
			3	25°33'17.66"N	85°25'31.51"E					
			4	25°33'17.26"N	85°25'27.01"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9A	15	1	25°33'46.97"N	85°25'17.12"E	270000	20250000	5062500	5000	3540
			2	25°33'43.40"N	85°25'22.16"E					
			3	25°33'18.13"N	85°25'26.02"E					
			4	25°33'26.66"N	85°25'15.26"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9B	10.5	1	25°33'50.99"N	85°25'11.96"E	189000	14175000	3543750	5000	3540
			2	25°33'47.14"N	85°25'16.74"E					
			3	25°33'26.96"N	85°25'14.80"E					
			4	25°33'32.00"N	85°25'8.41"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9C	12.8	1	25°33'55.13"N	85°25'6.38"E	230400	17280000	4320000	5000	3540
			2	25°33'51.15"N	85°25'11.73"E					
			3	25°33'32.38"N	85°25'7.86"E					
			4	25°33'39.15"N	85°24'59.45"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9D	11.2	1	25°33'59.53"N	85°25'0.53"E	201600	15120000	3780000	5000	3540
			2	25°33'55.28"N	85°25'6.24"E					
			3	25°33'39.57"N	85°24'59.02"E					
			4	25°33'44.85"N	85°24'52.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9E	10.5	1	25°34'3.75"N	85°24'54.60"E	189000	14175000	3543750	5000	3540
			2	25°33'59.68"N	85°25'0.35"E					
			3	25°33'45.07"N	85°24'52.23"E					
			4	25°33'54.02"N	85°24'46.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9F	8	1	25°34'9.16"N	85°24'48.29"E	144000	10800000	2700000	5000	3540
			2	25°34'8.27"N	85°24'48.87"E					
			3	25°34'3.96"N	85°24'54.61"E					
			4	25°33'54.13"N	85°24'46.49"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9G	9.5	1	25°34'1.59"N	85°24'41.82"E	171000	12825000	3206250	5000	3540
			2	25°34'17.94"N	85°24'42.06"E					
			3	25°34'9.34"N	85°24'48.14"E					
			4	25°34'1.89"N	85°24'41.70"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9H	7.5	1	25°34'8.36"N	85°24'37.72"E	135000	10125000	2531250	5000	3540
			2	25°34'10.70"N	85°24'33.17"E					
			3	25°34'23.80"N	85°24'37.86"E					
			4	25°34'18.07"N	85°24'41.89"E					
Ganga	Vaishali Ganga 9H	7.5	1	25°34'10.84"N	85°24'32.97"E	135000	10125000	2531250	5000	3540
			2	25°34'13.85"N	85°24'26.90"E					
			3	25°34'18.07"N	85°24'41.89"E					
			4	25°34'23.80"N	85°24'37.86"E					

Ganga	Vaishali Ganga 9I	7.8	1	25°34'28.35"N	85°24'34.78"E	140400	10530000	2632500	5000	3540
			2	25°34'23.98"N	85°24'37.78"E					
			3	25°34'13.92"N	85°24'26.74"E					
			4	25°34'16.60"N	85°24'21.18"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10A	14.6	1	25°34'35.45"N	85°24'33.94"E	262800	19710000	4927500	5000	3540
			2	25°34'28.45"N	85°24'34.59"E					
			3	25°34'16.95"N	85°24'20.91"E					
			4	25°34'24.34"N	85°24'13.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10B	14.8	1	25°34'43.18"N	85°24'33.15"E	266400	19980000	4995000	5000	3540
			2	25°34'35.68"N	85°24'33.80"E					
			3	25°34'24.48"N	85°24'13.34"E					
			4	25°34'29.01"N	85°24'8.45"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10C	13.5	1	25°34'48.77"N	85°24'32.71"E	243000	18225000	4556250	5000	3540
			2	25°34'43.74"N	85°24'33.18"E					
			3	25°34'29.42"N	85°24'8.19"E					
			4	25°34'33.23"N	85°24'3.82"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10D	17.5	1	25°34'53.28"N	85°24'32.14"E	315000	23625000	5906250	5000	3540
			2	25°34'49.14"N	85°24'32.55"E					
			3	25°34'33.68"N	85°24'3.62"E					
			4	25°34'35.68"N	85°24'1.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10E	12.5	1	25°34'58.25"N	85°24'31.90"E	225000	16875000	4218750	5000	3540
			2	25°34'53.66"N	85°24'32.22"E					
			3	25°34'41.43"N	85°24'0.34"E					
			4	25°34'45.26"N	85°23'59.29"E					
Ganga	Vaishali Ganga 10F	18.6	1	25°35'5.45"N	85°24'31.20"E	334800	25110000	6277500	5000	3540
			2	25°34'58.50"N	85°24'31.77"E					
			3	25°34'45.42"N	85°23'59.34"E					
			4	25°34'50.91"N	85°23'58.18"E					
Ganga	Vaishali Ganga 11A	15.3	1	25°35'10.87"N	85°24'29.34"E	275400	20655000	5163750	5000	3540
			2	25°35'5.99"N	85°24'30.90"E					
			3	25°34'51.47"N	85°23'58.08"E					
			4	25°34'56.64"N	85°23'57.51"E					
Ganga	Vaishali Ganga 11B	18.5	1	25°35'16.65"N	85°24'27.28"E	333000	24975000	6243750	5000	3540
			2	25°35'11.43"N	85°24'29.01"E					
			3	25°34'57.13"N	85°23'57.45"E					
			4	25°35'4.60"N	85°23'56.68"E					
Ganga	Vaishali Ganga 11C	12.8	1	25°35'19.53"N	85°24'28.25"E	230400	17280000	4320000	5000	3540
			2	25°35'17.01"N	85°24'27.15"E					
			3	25°35'4.92"N	85°23'56.67"E					
			4	25°35'11.95"N	85°23'55.89"E					
Ganga	Vaishali Ganga 11D	17.5	1	25°35'22.70"N	85°24'29.49"E	315000	23625000	5906250	5000	3540
			2	25°35'19.72"N	85°24'28.35"E					
			3	25°35'12.29"N	85°23'55.95"E					
			4	25°35'21.38"N	85°23'54.80"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12A	15.4	1	25°35'28.22"N	85°24'29.49"E	277200	20790000	5197500	5000	3540
			2	25°35'23.33"N	85°24'29.45"E					
			3	25°35'21.87"N	85°23'54.79"E					
			4	25°35'27.20"N	85°23'54.26"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12B	14.5	1	25°35'33.38"N	85°24'29.29"E	261000	19575000	4893750	5000	3540
			2	25°35'28.64"N	85°24'29.15"E					
			3	25°35'27.71"N	85°23'54.46"E					
			4	25°35'32.55"N	85°23'53.95"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12C	14.7	1	25°35'39.24"N	85°24'29.48"E	264600	19845000	4961250	5000	3540
			2	25°35'34.05"N	85°24'29.49"E					
			3	25°35'32.79"N	85°23'54.01"E					
			4	25°35'37.13"N	85°23'53.55"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12D	12	1	25°35'43.54"N	85°24'29.37"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°35'39.50"N	85°24'29.41"E					
			3	25°35'37.43"N	85°23'53.63"E					
			4	25°35'41.09"N	85°23'53.21"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12E	10	1	25°35'47.45"N	85°24'29.42"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°35'43.92"N	85°24'29.36"E					
			3	25°35'41.36"N	85°23'53.15"E					
			4	25°35'44.17"N	85°23'52.76"E					
Ganga	Vaishali Ganga 12F	9.9	1	25°35'51.18"N	85°24'29.56"E	178200	13365000	3341250	5000	3540
			2	25°35'47.68"N	85°24'29.56"E					
			3	25°35'44.39"N	85°23'52.75"E					
			4	25°35'47.03"N	85°23'52.40"E					
Ganga	Vaishali Ganga 13A	13	1	25°35'51.05"N	85°24'30.94"E	234000	17550000	4387500	5000	3540
			2	25°35'51.88"N	85°24'36.18"E					
			3	25°35'25.49"N	85°24'37.91"E					
			4	25°35'24.46"N	85°24'31.87"E					
Ganga	Vaishali Ganga 13B	12	1	25°35'51.94"N	85°24'36.55"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°35'52.57"N	85°24'41.78"E					
			3	25°35'26.54"N	85°24'43.66"E					
			4	25°35'25.52"N	85°24'38.37"E					

Ganga	Vaishali Ganga 13C	17	1	25°35'52.63"N	85°24'42.08"E	306000	22950000	5737500	5000	3540
			2	25°35'52.67"N	85°24'49.64"E					
			3	25°35'28.17"N	85°24'51.90"E					
			4	25°35'26.67"N	85°24'44.00"E					
Ganga	Vaishali Ganga 13D	13	1	25°35'52.80"N	85°24'49.84"E	234000	17550000	4387500	5000	3540
			2	25°35'52.03"N	85°24'56.42"E					
			3	25°35'29.19"N	85°24'58.33"E					
			4	25°35'28.15"N	85°24'52.21"E					
Ganga	Vaishali Ganga 13E	13	1	25°35'52.00"N	85°24'56.83"E	234000	17550000	4387500	5000	3540
			2	25°35'50.80"N	85°25'4.26"E					
			3	25°35'30.12"N	85°25'5.16"E					
			4	25°35'29.29"N	85°24'58.65"E					
Ganga	Vaishali Ganga 13F	11.2	1	25°35'50.81"N	85°25'4.50"E	201600	15120000	3780000	5000	3540
			2	25°35'49.64"N	85°25'11.80"E					
			3	25°35'30.58"N	85°25'11.20"E					
			4	25°35'30.19"N	85°25'5.37"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14A	11.5	1	25°35'48.66"N	85°25'13.03"E	207000	15525000	3881250	5000	3540
			2	25°35'46.92"N	85°25'19.82"E					
			3	25°35'29.13"N	85°25'19.91"E					
			4	25°35'30.53"N	85°25'11.90"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14B	9.9	1	25°35'46.88"N	85°25'20.36"E	178200	13365000	3341250	5000	3540
			2	25°35'45.60"N	85°25'26.67"E					
			3	25°35'28.31"N	85°25'26.84"E					
			4	25°35'29.04"N	85°25'20.11"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14C	11.8	1	25°35'45.56"N	85°25'26.89"E	212400	15930000	3982500	5000	3540
			2	25°35'44.27"N	85°25'35.40"E					
			3	25°35'26.74"N	85°25'34.18"E					
			4	25°35'28.14"N	85°25'27.09"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14D	16	1	25°35'45.59"N	85°25'35.76"E	288000	21600000	5400000	5000	3540
			2	25°35'43.03"N	85°25'46.58"E					
			3	25°35'24.23"N	85°25'42.73"E					
			4	25°35'26.60"N	85°25'34.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14E	14.7	1	25°35'43.00"N	85°25'46.89"E	264600	19845000	4961250	5000	3540
			2	25°35'40.85"N	85°25'55.76"E					
			3	25°35'21.66"N	85°25'50.97"E					
			4	25°35'24.05"N	85°25'43.01"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14F	12	1	25°35'40.75"N	85°25'56.01"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°35'39.04"N	85°26'3.19"E					
			3	25°35'19.61"N	85°25'57.40"E					
			4	25°35'21.54"N	85°25'51.17"E					
Ganga	Vaishali Ganga 14G	12.7	1	25°35'38.95"N	85°26'3.36"E	228600	17145000	4286250	5000	3540
			2	25°35'36.94"N	85°26'11.81"E					
			3	25°35'17.57"N	85°26'2.93"E					
			4	25°35'19.51"N	85°25'57.67"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15A	16.7	1	25°35'36.70"N	85°26'12.07"E	300600	22545000	5636250	5000	3540
			2	25°35'36.37"N	85°26'20.26"E					
			3	25°35'14.81"N	85°26'13.10"E					
			4	25°35'17.71"N	85°26'3.42"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15B	10.5	1	25°35'36.29"N	85°26'20.46"E	189000	14175000	3543750	5000	3540
			2	25°35'35.53"N	85°26'26.31"E					
			3	25°35'13.53"N	85°26'17.98"E					
			4	25°35'14.73"N	85°26'13.35"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15C	11.5	1	25°35'36.05"N	85°26'27.16"E	207000	15525000	3881250	5000	3540
			2	25°35'35.73"N	85°26'32.77"E					
			3	25°35'11.90"N	85°26'23.38"E					
			4	25°35'13.42"N	85°26'18.21"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15D	13.7	1	25°35'35.89"N	85°26'33.47"E	246600	18495000	4623750	5000	3540
			2	25°35'35.57"N	85°26'39.74"E					
			3	25°35'9.55"N	85°26'29.05"E					
			4	25°35'11.83"N	85°26'23.72"E					

Ganga	Vaishali Ganga 15E	13.6	1	25°35'35.22"N	85°26'40.19"E	244800	18360000	4590000	5000	3540
			2	25°35'33.23"N	85°26'45.98"E					
			3	25°35'7.10"N	85°26'33.76"E					
			4	25°35'9.39"N	85°26'29.29"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15F	10.3	1	25°35'32.90"N	85°26'46.89"E	185400	13905000	3476250	5000	3540
			2	25°35'31.58"N	85°26'51.27"E					
			3	25°35'5.71"N	85°26'37.51"E					
			4	25°35'6.94"N	85°26'33.98"E					
Ganga	Vaishali Ganga 15G	12.4	1	25°35'31.49"N	85°26'51.59"E	223200	16740000	4185000	5000	3540
			2	25°35'29.97"N	85°26'55.71"E					
			3	25°35'2.74"N	85°26'42.14"E					
			4	25°35'5.03"N	85°26'37.50"E					
Ganga	Vaishali Ganga 16A	18	1	25°35'29.33"N	85°26'56.77"E	324000	24300000	6075000	5000	3540
			2	25°35'25.61"N	85°27'3.73"E					
			3	25°34'59.43"N	85°26'48.01"E					
			4	25°35'2.16"N	85°26'42.91"E					
Ganga	Vaishali Ganga 16B	15	1	25°35'25.61"N	85°27'4.49"E	270000	20250000	5062500	5000	3540
			2	25°35'23.01"N	85°27'9.72"E					
			3	25°34'56.48"N	85°26'52.96"E					
			4	25°34'59.20"N	85°26'48.36"E					
Ganga	Vaishali Ganga 16C	14.9	1	25°35'22.71"N	85°27'10.41"E	268200	20115000	5028750	5000	3540
			2	25°35'19.94"N	85°27'15.15"E					
			3	25°34'53.41"N	85°26'58.32"E					
			4	25°34'56.04"N	85°26'53.49"E					
Ganga	Vaishali Ganga 16D	16.2	1	25°35'19.80"N	85°27'16.29"E	291600	21870000	5467500	5000	3540
			2	25°35'17.16"N	85°27'21.06"E					
			3	25°34'49.73"N	85°27'4.08"E					
			4	25°34'53.08"N	85°26'58.80"E					
Ganga	Vaishali Ganga 16E	19.5	1	25°35'16.57"N	85°27'21.91"E	351000	26325000	6581250	5000	3540
			2	25°35'14.75"N	85°27'25.69"E					
			3	25°34'44.42"N	85°27'12.66"E					
			4	25°34'49.57"N	85°27'4.38"E					
Ganga	Vaishali Ganga 17A	19	1	25°35'13.87"N	85°27'26.83"E	342000	25650000	6412500	5000	3540
			2	25°35'9.51"N	85°27'32.28"E					
			3	25°34'40.82"N	85°27'20.24"E					
			4	25°34'43.51"N	85°27'13.75"E					
Ganga	Vaishali Ganga 17B	15	1	25°35'8.81"N	85°27'32.94"E	270000	20250000	5062500	5000	3540
			2	25°35'4.68"N	85°27'37.58"E					
			3	25°34'38.33"N	85°27'25.79"E					
			4	25°34'40.66"N	85°27'20.60"E					
Ganga	Vaishali Ganga 17C	13.7	1	25°35'4.31"N	85°27'38.11"E	246600	18495000	4623750	5000	3540
			2	25°35'0.23"N	85°27'43.07"E					
			3	25°34'36.09"N	85°27'31.01"E					
			4	25°34'38.03"N	85°27'26.25"E					
Ganga	Vaishali Ganga 17D	11.7	1	25°34'59.85"N	85°27'43.55"E	210600	15795000	3948750	5000	3540
			2	25°34'56.23"N	85°27'47.68"E					
			3	25°34'33.69"N	85°27'35.97"E					
			4	25°34'35.76"N	85°27'31.40"E					
Ganga	Vaishali Ganga 17E	12.3	1	25°34'56.04"N	85°27'48.11"E	221400	16605000	4151250	5000	3540
			2	25°34'52.44"N	85°27'52.62"E					
			3	25°34'30.93"N	85°27'41.57"E					
			4	25°34'33.44"N	85°27'36.31"E					
Ganga	Vaishali Ganga 18A	10.6	1	25°34'51.83"N	85°27'53.16"E	190800	14310000	3577500	5000	3540
			2	25°34'47.46"N	85°27'57.66"E					
			3	25°34'25.21"N	85°27'43.56"E					
			4	25°34'30.28"N	85°27'42.25"E					
Ganga	Vaishali Ganga 18B	11.5	1	25°34'46.86"N	85°27'58.26"E	207000	15525000	3881250	5000	3540
			2	25°34'43.02"N	85°28'2.19"E					
			3	25°34'23.89"N	85°27'49.65"E					
			4	25°34'24.96"N	85°27'43.86"E					
Ganga	Vaishali Ganga 18C	14.4	1	25°34'42.37"N	85°28'2.72"E	259200	19440000	4860000	5000	3540
			2	25°34'37.18"N	85°28'8.26"E					
			3	25°34'22.23"N	85°28'0.34"E					
			4	25°34'23.81"N	85°27'50.12"E					

Ganga	Vaishali Ganga 18D	10	1	25°34'36.81"N	85°28'8.60"E	180000	13500000	3375000	5000	3540
			2	25°34'32.19"N	85°28'13.58"E					
			3	25°34'20.45"N	85°28'10.64"E					
			4	25°34'22.08"N	85°28'0.62"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19A	11.6	1	25°33'39.40"N	85°27'2.71"E	208800	15660000	3915000	5000	3540
			2	25°33'51.53"N	85°27'11.33"E					
			3	25°33'36.84"N	85°27'17.52"E					
			4	25°33'34.58"N	85°27'4.62"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19B	17.6	1	25°33'51.53"N	85°27'11.90"E	316800	23760000	5940000	5000	3540
			2	25°33'57.08"N	85°27'22.18"E					
			3	25°33'39.17"N	85°27'29.91"E					
			4	25°33'37.25"N	85°27'18.06"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19C	15.5	1	25°33'57.76"N	85°27'22.51"E	279000	20925000	5231250	5000	3540
			2	25°34'1.48"N	85°27'29.73"E					
			3	25°33'41.50"N	85°27'39.42"E					
			4	25°33'39.37"N	85°27'30.64"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19D	17.4	1	25°34'1.76"N	85°27'30.19"E	313200	23490000	5872500	5000	3540
			2	25°34'2.77"N	85°27'32.42"E					
			3	25°34'2.59"N	85°27'40.84"E					
			4	25°33'45.40"N	85°27'48.61"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19E	9.7	1	25°34'2.79"N	85°27'41.25"E	174600	13095000	3273750	5000	3540
			2	25°34'2.81"N	85°27'49.08"E					
			3	25°33'47.54"N	85°27'54.66"E					
			4	25°33'45.72"N	85°27'49.41"E					
Ganga	Vaishali Ganga 19F	11	1	25°34'2.85"N	85°27'49.48"E	198000	14850000	3712500	5000	3540
			2	25°34'2.70"N	85°28'3.26"E					
			3	25°33'48.65"N	85°27'58.39"E					
			4	25°33'47.63"N	85°27'54.77"E					
Ganga	Vaishali Ganga 20A	11.7	1	25°33'35.37"N	85°28'14.90"E	210600	15795000	3948750	5000	3540
			2	25°33'37.94"N	85°28'14.70"E					
			3	25°33'52.44"N	85°28'28.89"E					
			4	25°33'38.98"N	85°28'31.44"E					
Ganga	Vaishali Ganga 20B	12	1	25°33'38.96"N	85°28'31.68"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°33'52.54"N	85°28'29.06"E					
			3	25°33'52.74"N	85°28'29.55"E					
			4	25°33'44.90"N	85°28'47.10"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21A	14	1	25°34'22.98"N	85°29'1.54"E	252000	18900000	4725000	5000	3540
			2	25°34'24.35"N	85°29'15.86"E					
			3	25°34'12.81"N	85°29'20.28"E					
			4	25°34'11.62"N	85°29'7.47"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21B	15.7	1	25°34'24.41"N	85°29'16.09"E	282600	21195000	5298750	5000	3540
			2	25°34'25.96"N	85°29'32.74"E					
			3	25°34'13.93"N	85°29'33.89"E					
			4	25°34'12.69"N	85°29'20.64"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21C	14	1	25°34'25.94"N	85°29'32.96"E	252000	18900000	4725000	5000	3540
			2	25°34'26.91"N	85°29'46.81"E					
			3	25°34'15.18"N	85°29'47.42"E					
			4	25°34'13.99"N	85°29'34.09"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21D	14	1	25°34'27.31"N	85°29'47.07"E	252000	18900000	4725000	5000	3540
			2	25°34'28.49"N	85°29'59.91"E					
			3	25°34'16.48"N	85°30'1.34"E					
			4	25°34'15.24"N	85°29'47.65"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21E	13.6	1	25°34'28.59"N	85°30'0.13"E	244800	18360000	4590000	5000	3540
			2	25°34'29.84"N	85°30'13.04"E					
			3	25°34'17.46"N	85°30'14.08"E					
			4	25°34'16.41"N	85°30'1.55"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21F	11.9	1	25°34'29.83"N	85°30'13.29"E	214200	16065000	4016250	5000	3540
			2	25°34'30.89"N	85°30'24.69"E					
			3	25°34'18.51"N	85°30'25.02"E					
			4	25°34'17.52"N	85°30'14.22"E					
Ganga	Vaishali Ganga 21G	11.5	1	25°34'31.04"N	85°30'25.01"E	207000	15525000	3881250	5000	3540
			2	25°34'32.03"N	85°30'36.26"E					
			3	25°34'19.44"N	85°30'35.29"E					
			4	25°34'18.56"N	85°30'25.29"E					

Ganga	Vaishali Ganga 23A	15	1	25°31'23.24"N	85°18'32.03"E	270000	20250000	5062500	5000	3540
			2	25°31'20.15"N	85°18'40.36"E					
			3	25°31'4.40"N	85°18'29.84"E					
			4	25°31'9.53"N	85°18'20.74"E					
Ganga	Vaishali Ganga 23B	12.5	1	25°31'19.88"N	85°18'40.94"E	225000	16875000	4218750	5000	3540
			2	25°31'17.55"N	85°18'47.06"E					
			3	25°31'1.57"N	85°18'39.07"E					
			4	25°31'3.39"N	85°18'31.72"E					
Ganga	Vaishali Ganga 23C	10.9	1	25°31'17.29"N	85°18'47.31"E	196200	14715000	3678750	5000	3540
			2	25°31'14.73"N	85°18'53.67"E					
			3	25°30'59.64"N	85°18'47.04"E					
			4	25°31'1.50"N	85°18'39.21"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24A	14.5	1	25°31'14.36"N	85°18'54.34"E	261000	19575000	4893750	5000	3540
			2	25°31'9.96"N	85°19'4.23"E					
			3	25°30'56.58"N	85°18'58.13"E					
			4	25°30'59.47"N	85°18'47.71"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24B	11	1	25°31'9.79"N	85°19'4.85"E	198000	14850000	3712500	5000	3540
			2	25°31'6.21"N	85°19'13.03"E					
			3	25°30'53.63"N	85°19'6.56"E					
			4	25°30'56.25"N	85°18'58.37"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24C	12	1	25°31'5.99"N	85°19'13.47"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°31'2.26"N	85°19'22.45"E					
			3	25°30'50.28"N	85°19'17.17"E					
			4	25°30'53.58"N	85°19'6.82"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24D	12.9	1	25°31'2.05"N	85°19'22.86"E	232200	17415000	4353750	5000	3540
			2	25°30'57.09"N	85°19'33.86"E					
			3	25°30'47.01"N	85°19'31.09"E					
			4	25°30'50.27"N	85°19'17.74"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24E	12	1	25°30'57.05"N	85°19'34.60"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°30'52.89"N	85°19'48.97"E					
			3	25°30'45.38"N	85°19'46.70"E					
			4	25°30'46.84"N	85°19'31.45"E					
Ganga	Vaishali Ganga 24G	7.5	1	25°30'48.99"N	85°20'7.04"E	135000	10125000	2531250	5000	3540
			2	25°30'46.55"N	85°20'22.50"E					
			3	25°30'41.12"N	85°20'21.62"E					
			4	25°30'43.77"N	85°20'5.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25A	8	1	25°31'11.41"N	85°23'4.28"E	144000	10800000	2700000	5000	3540
			2	25°31'9.13"N	85°23'11.98"E					
			3	25°31'17.44"N	85°23'23.45"E					
			4	25°31'21.08"N	85°23'19.28"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25B	8.6	1	25°31'21.16"N	85°23'19.60"E	154800	11610000	2902500	5000	3540
			2	25°31'17.59"N	85°23'23.54"E					
			3	25°31'24.53"N	85°23'39.14"E					
			4	25°31'29.96"N	85°23'36.12"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25C	13	1	25°31'30.15"N	85°23'36.51"E	234000	17550000	4387500	5000	3540
			2	25°31'24.57"N	85°23'39.58"E					
			3	25°31'24.17"N	85°23'55.83"E					
			4	25°31'36.98"N	85°23'50.27"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25D	14.5	1	25°31'37.01"N	85°23'50.81"E	261000	19575000	4893750	5000	3540
			2	25°31'24.28"N	85°23'56.22"E					
			3	25°31'23.64"N	85°24'8.14"E					
			4	25°31'35.71"N	85°24'6.59"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25E	10.3	1	25°31'35.74"N	85°24'6.91"E	185400	13905000	3476250	5000	3540
			2	25°31'34.78"N	85°24'14.03"E					
			3	25°31'32.53"N	85°24'18.48"E					
			4	25°31'22.42"N	85°24'17.32"E					
			5	25°31'23.49"N	85°24'8.51"E					
Ganga	Vaishali Ganga 25F	6	1	25°31'32.43"N	85°24'18.66"E	108000	8100000	2025000	5000	3540
			2	25°31'28.91"N	85°24'25.67"E					
			3	25°31'21.26"N	85°24'26.02"E					
			4	25°31'22.41"N	85°24'17.50"E					

Ganga	Vaishali Ganga 26A	11.6	1	25°30'55.24"N	85°23'31.63"E	208800	15660000	3915000	5000	3540
			2	25°30'55.75"N	85°23'41.12"E					
			3	25°30'43.16"N	85°23'42.34"E					
			4	25°30'43.05"N	85°23'39.34"E					
			5	25°30'45.82"N	85°23'28.51"E					
Ganga	Vaishali Ganga 26B	12	1	25°30'55.70"N	85°23'41.67"E	216000	16200000	4050000	5000	3540
			2	25°30'54.20"N	85°23'53.93"E					
			3	25°30'43.49"N	85°23'54.34"E					
			4	25°30'43.19"N	85°23'42.58"E					
Ganga	Vaishali Ganga 26C	9.2	1	25°30'54.21"N	85°23'54.14"E	165600	12420000	3105000	5000	3540
			2	25°30'53.56"N	85°23'58.92"E					
			3	25°30'51.98"N	85°24'5.35"E					
			4	25°30'43.56"N	85°24'5.15"E					
			5	25°30'43.36"N	85°23'54.59"E					
Ganga	Vaishali Ganga 26D	7.4	1	25°30'51.94"N	85°24'5.54"E	133200	9990000	2497500	5000	3540
			2	25°30'49.89"N	85°24'13.89"E					
			3	25°30'43.86"N	85°24'21.54"E					
			4	25°30'43.52"N	85°24'5.41"E					
Ganga	Vaishali Ganga 27A	15	1	25°29'18.96"N	85°29'53.94"E	270000	20250000	5062500	5000	3540
			2	25°29'22.27"N	85°30'6.77"E					
			3	25°29'11.88"N	85°30'14.50"E					
			4	25°29'6.77"N	85°30'2.74"E					
Ganga	Vaishali Ganga 27B	13.9	1	25°29'22.59"N	85°30'7.17"E	250200	18765000	4691250	5000	3540
			2	25°29'23.77"N	85°30'11.88"E					
			3	25°29'27.24"N	85°30'13.83"E					
			4	25°29'29.07"N	85°30'15.69"E					
			5	25°29'17.41"N	85°30'26.79"E					
			6	25°29'12.00"N	85°30'14.78"E					
Ganga	Vaishali Ganga 27C	9.6	1	25°29'29.37"N	85°30'15.96"E	172800	12960000	3240000	5000	3540
			2	25°29'34.25"N	85°30'20.77"E					
			3	25°29'23.43"N	85°30'30.77"E					
			4	25°29'18.75"N	85°30'29.99"E					
			5	25°29'17.59"N	85°30'27.10"E					
Ganga	Vaishali Ganga 27D	9	1	25°29'34.47"N	85°30'20.91"E	162000	12150000	3037500	5000	3540
			2	25°29'41.05"N	85°30'27.37"E					
			3	25°29'36.00"N	85°30'32.55"E					
			4	25°29'23.63"N	85°30'30.87"E					



Mines and Geology Department

District- Vaishali

Short Notice Inviting E-Auction for Settlement of Sand ghats
(Through E-Procurement mode over <https://eproc2.bihar.gov.in>)

बिहार बालू खनन नीति, 2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत वैशाली जिलान्तर्गत SEIAA BIHAR द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन(संशोधित) में विखण्डित गंडकनदी एवं गंगा नदी के बालूघाटों की अगामी पाँच वर्षों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से बन्दोबस्ती हेतु अनिलामित शेष सभी बालूघाटों की बन्दोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से कराने हेतु पुनः अल्पकालिन ई-निविदा निम्न क्रमानुसार आमंत्रित कि जाती है। :-

1. ई-नीलामी कार्यक्रम:-

क्र. सं.	बालूघाट का नाम	निविदा दस्तावेज बिक्री शुल्क (5,000/-रु०) जमाकर निविदा दस्तावेज डाउनलोड प्राप्त करने की तिथि	अग्रघन राशि एवं ऑक्शन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची सिस्टम में संबंधित समाहर्ता द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय
1-	Vaishali Gandak 2B, 2C, 1B					
2-	Vaishali Ganga 1A Vaishali Ganga 2B, 2C, 2D Vaishali Ganga 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Vaishali Ganga 4A, 4B, 4C Vaishali Ganga 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F Vaishali Ganga 6G Vaishali Ganga 7A, 7B, 7C, 7D Vaishali Ganga 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H Vaishali Ganga 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I Vaishali Ganga 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F Vaishali Ganga 11A, 11B, 11C, 11D Vaishali Ganga 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F Vaishali Ganga 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F Vaishali Ganga 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G Vaishali Ganga 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G Vaishali Ganga 16A, 16B, 16C, 16D, 16E Vaishali Ganga 17A, 17B, 17C, 17D, 17E Vaishali Ganga 18A, 18B, 18C, 18D Vaishali Ganga 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F Vaishali Ganga 20A, 20B Vaishali Ganga 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G Vaishali Ganga 22A, 22B, 22C Vaishali Ganga 23A, 23B, 23C Vaishali Ganga 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G Vaishali Ganga 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F Vaishali Ganga 26A, 26B, 26C, 26D Vaishali Ganga 27A, 27B, 27C, 27D	19.08.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	03.09.2026 को अपराह्न समय 05.00 बजे तक।	15.09.2026	19.09.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	19.09.2026 को अपराह्न समय 1.00 बजे तक।

- बालूघाटों की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाईट <https://vaishali.nic.in> पर उपलब्ध है।
- बालूघाटों की बन्दोबस्ती, ई-नीलामी प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> से करायी जाएगी।
- ई-नीलामी द्वारा कराई जा रही बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कम्पनी/फर्म को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना (यथा-नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अग्रघन राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के वेबसाईट <https://vaishali.nic.in>, विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/mines> एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं०- एम/22, रोड नं०-25, श्री कृष्णनगर, पटना-800001, दूरभाष संख्या: 0612-2523006, 7542028164, समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली मो० नं० 8840224986, खान निरीक्षक, वैशाली, मो०-7004201742 7484075268



Mines and Geology Department

District- Vaishali

Short Notice Inviting E-Auction for Settlement of Sand ghats
(Through E-Procurement mode over <https://eproc2.bihar.gov.in>)

बिहार बालू खनन नीति, 2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत वैशाली जिलान्तर्गत SEIAA BIHAR द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन(संशोधित) में विखण्डित गंडकनदी एवं गंगा नदी के बालूघाटों की अगामी पाँच वर्षों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से बन्दोबस्ती हेतु अनिलामित शेष सभी बालूघाटों की बन्दोबस्ती ई-नीलामी के माध्यम से कराने हेतु पुनः अल्पकालिन ई-निविदा निम्न क्रमानुसार आमंत्रित कि जाती है। :-

1. ई-नीलामी कार्यक्रम:-

क्र. सं.	बालूघाट का नाम	निविदा दस्तावेज बिक्री शुल्क (5,000/-रु०) जमाकर निविदा दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	अग्रघन राशि एवं ऑक्शन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची सिस्टम में संबंधित समाहर्ता द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय
1-	Vaishali Gandak 2B, 2C, 1B					
2-	Vaishali Ganga 1A Vaishali Ganga 2B, 2C, 2D Vaishali Ganga 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Vaishali Ganga 4A, 4B, 4C Vaishali Ganga 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F Vaishali Ganga 6G Vaishali Ganga 7A, 7B, 7C, 7D Vaishali Ganga 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H Vaishali Ganga 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I Vaishali Ganga 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F Vaishali Ganga 11A, 11B, 11C, 11D Vaishali Ganga 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F Vaishali Ganga 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F Vaishali Ganga 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G Vaishali Ganga 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G Vaishali Ganga 16A, 16B, 16C, 16D, 16E Vaishali Ganga 17A, 17B, 17C, 17D, 17E Vaishali Ganga 18A, 18B, 18C, 18D Vaishali Ganga 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F Vaishali Ganga 20A, 20B Vaishali Ganga 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G Vaishali Ganga 23A, 23B, 23C Vaishali Ganga 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G Vaishali Ganga 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F Vaishali Ganga 26A, 26B, 26C, 26D Vaishali Ganga 27A, 27B, 27C, 27D	19.08.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	03.09.2026 को अपराह्न समय 05.00 बजे तक।	15.09.2026	19.09.2026 को पूर्वाह्न समय 11.00 बजे से।	19.09.2026 को अपराह्न समय 1.00 बजे तक।

- बालूघाटों की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाइट <https://vaishali.nic.in> पर उपलब्ध है।
- बालूघाटों की बन्दोबस्ती, ई-नीलामी प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> से करायी जाएगी।
- ई-नीलामी द्वारा कराई जा रही बन्दोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कम्पनी/फर्म को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना (यथा-नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अग्रघन राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के वेबसाइट <https://vaishali.nic.in>, विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/mines> एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eproc2.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं०- एम/22, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, पटना-800001 दूरभाष संख्या: 0612-2523006, 7542028164, समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, वैशाली मो० नं० 8840224986, खान निरीक्षक, वैशाली, मो०-7004201742, 7484075268